4.4.15 वकील आवेदिका उपस्थित वाद प्रा० पत्र ले० नाम
चाय-पान के लिए समय मांगती दिनांक
12.4.15 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी

12.4.15 वकील आवेदिका उपस्थित। मूल वाद की बाबत वकील
आवेदिका द्वारा मांगी गयी मोहलत बाबत आदेश दिनांक
15.4.15 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी

15.4.15 वकील आवेदक उपस्थित। मूल वाद जारिश होने
के कारण इस प्रा० पत्र को आगे चलाने का
कोई औचित्यता नहीं होने से प्रा० पत्र
अस्थाई निषेधाज्ञा जारिश किया जाता है। पक्षकार
मौजूदा स्थिति बरकरार रखेंगे तथा वाद
तकमील कार्यवाही जारी रखी है।
नियमित आदेश दिनांक 15.4.15 को मुकर्रर
है। सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner